


## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.190)/जविप्रा/जे.सी. (एस.एम.)/2014/डी- 1220

दिनांक: 27/10/14

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 190वीं बैठक दिनांक 22.10.2014 का कार्यवाही विवरण

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
1.	190:1	कार्यकारी समिति की 189वीं बैठक दिनांक 27.08.2014 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	कार्यकारी समिति की 189वीं बैठक दिनांक 27.08.2014 के कार्यवाही विवरण की इस संशोधन के साथ पुष्टि की गई कि निदेशक अभियांत्रिकी-प्रथम की अनुशंसा अनुसार निर्णय संख्या 189.14 में "कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई" पढ़ा जावे।	
2.	190:2	कार्यकारी समिति की 189वीं बैठक दिनांक 27.08.2014 में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	विचार-विमर्श पश्चात कार्यकारी समिति की 189वीं बैठक दिनांक 27.08.2014 में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति पर संतोष प्रकट किया।	
3.	190:3	करतारपुरा कच्ची बस्ती से जविप्रा से जविप्रा स्कीम गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में आवास संख्या जी-846 सी के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात करतारपुरा कच्ची बस्ती से जविप्रा स्कीम गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में आवास संख्या जी-846 सी के लिए देय राशि तथा ब्याज एवं शास्ति जमा करवाने की शर्त पर भूखण्ड का नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैंड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	उपायुक्त जोन-8



सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
4.	190:4	आवास संख्या सी-579 योजना पालड़ीमीणा के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात आवास संख्या सी-579 योजना पालड़ीमीणा के आवंटी द्वारा नजराना राशि दो वर्ष से अधिक विलम्ब से जमा करवाए जाने के कारण डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-10ए
5.	190:5	आवास संख्या ए-577 योजना नारदपुरा के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात आवास संख्या ए-577 योजना नारदपुरा के आवंटी द्वारा नजराना राशि दो वर्ष से अधिक विलम्ब से जमा करवाए जाने के कारण डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-10
6.	190:6	आवास संख्या बी-211 योजना नारदपुरा के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात आवास संख्या बी-211 योजना नारदपुरा के आवंटी द्वारा नजराना राशि दो वर्ष से अधिक विलम्ब से जमा करवाए जाने के कारण डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-10
7.	190:7	Relaxation in DLP of M/S Latala Construction Co. for Road repair work done in different chain age in small parts between Sadwa mod and JDA-NH road boundary by	विचार-विमर्श पश्चात प्रस्तुत एजेण्डा पर समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिए गए :- 1. मैसर्स लटाला कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा देहली बाईपास सड़क सडवा मोड़ से जयपुर	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)


सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		deducting equivalent amount of DLP to take up complete work of Renewal and strengthening of delhi Road between sadwamod and JDA-NH-11 Road Boundary.	<p>विकास प्राधिकरण की सीमा एन.एच.-11 के मध्य किये गये पेंचवर्क/मरम्मत कार्य को दोष निवारण समयावधि (डी.एल.पी.) से मुक्त करते हुए निम्न प्रकार राशि वसूल की जावे :-</p> <p>प्रथम वर्ष - इस भाग की निर्माण लागत का 1.12 प्रतिशत।</p> <p>द्वितीय वर्ष - इस भाग की निर्माण लागत का 1.43 प्रतिशत।</p> <p>तृतीय वर्ष - इस भाग की निर्माण लागत का 1.83 प्रतिशत।</p> <p>तीन वर्ष का कुल योग - निर्माण लागत की राशि का 4.38 प्रतिशत।</p> <p>2. उक्त सड़क भाग पर सड़क सुदृढीकरण कार्य हेतु यातायात सर्वे, एक्सल लोड सर्वे, बैन्कलमैन बीम परीक्षण एवं ओवर-ले डिजाईन इत्यादि का कार्य MoRTH एवं आई.आर.सी. के नियम के अनुसार करवाये जावें।</p> <p>3. सड़वा मोड़ से जयपुर विकास प्राधिकरण की सीमा एन.एच.-11 तक सड़क सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित कर सड़क रिन्व्यूवल का कार्य करवाया जावे, जिससे कि नया संवेदक पूर्ण रूप से दोष निवारण समयावधि के लिए जिम्मेदार हो सके।</p>	

सचिव,  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
8.	190:8	हरचन्दपुरा डेयरी योजना में भूखण्ड संख्या एच-55 के नियमितिकरण के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात हरचन्दपुरा डेयरी योजना में भूखण्ड संख्या एच-55 के आवंटी द्वारा नजराना राशि दो वर्ष से अधिक विलम्ब से जमा करवाए जाने के कारण डिस्पोजल ऑफ अरबन लैंड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-13ए
9.	190:9	Approval of Tender for "Design, Construction Erection, Commissioning, Trial Run of 1 MLD CETP on Turnkey basis based on SBR technology with PLC, SCADA systems, Allied works and O&M for 5 years for Kartarpura Nallah, Jaipur"	विचार-विमर्श पश्चात निविदाकर्ता फोन्टस वाटर प्राईवेट लिमिटेड के पक्ष में "Design, Construction Erection, Commissioning, Trial Run of 1 MLD CETP on Turnkey basis based on SBR technology with PLC, SCADA systems, Allied works and O&M for 5 years for Kartarpura Nallah, Jaipur" के कार्य के लिए राशि रुपये 4,24,43,000.00/-का कार्यदेश जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
10.	190:10	प्राधिकरण में वरिष्ठ कार्पेन्टर का एक पद सृजित किये जाने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात प्राधिकरण में वरिष्ठ कार्पेन्टर का एक पद सृजित किये जाने का निर्णय लिया गया एवं निर्णय की पुष्टि हेतु प्रकरण को राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने का अनुमोदन किया गया।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
11.	190:11	Up gradation/ Creation of posts in JDA Accounts cadre.	विचार-विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण में राजस्थान लेखा सेवा का वरिष्ठ लेखाधिकारी का एक पद मुख्य लेखाधिकारी (सलक्शन स्केल) के पद में क्रमोन्नत किया जावे तथा वरिष्ठ लेखाधिकारी के दो पद सृजित किए जावें जिन्हें प्राधिकरण की वित्त-शाखा में कार्यरत प्राधिकरण के	निदेशक (वित्त)



सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			अधिकारियों से भरा जावे। उक्त निर्णयों की पुष्टि राज्य सरकार से करवा ली जावे।	
12.	190:12	Ex-post facto approval for rejecting the tender for the Work "Development of Kho-Nagariyan road in sector 34 & 35- widening & Strengthening of Kho-Nagariyan road (Phase-III) in Zone-10, JDA, Jaipur."	विचार-विमर्श पश्चात "Development of Kho-Nagariyan road in sector 34 & 35- widening & Strengthening of Kho-Nagariyan road (Phase-III) in Zone-10, JDA, Jaipur." की निविदा को निरस्त करने तथा अल्पकालीन निविदाएं आमंत्रित करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
13.	190:13	भूखण्ड संख्या एल-90, जविप्रा की आवासीय योजना गोविन्दपुरा सांगानेर के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात भूखण्ड संख्या एल-90, जविप्रा की आवासीय योजना गोविन्दपुरा सांगानेर के लिए देय राशि जमा करवाने की शर्त पर भूखण्ड का नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैंड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	उपायुक्त जोन-8
14.	190:14	कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या सी-666, ई-310, एच-328, सी-461, ई-418, एच-376 के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या सी-666, ई-310, एच-328, सी-461, ई-418, एच-376 के आवंटियों द्वारा नजराना राशि दो वर्ष से अधिक विलम्ब से जमा करवाए जाने के कारण डिस्पोजल ऑफ अरबन लैंड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत सभी का नियमितीकरण किए जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-13ए




सचिव,  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
15.	190:15	Ex-post facto approval for rejecting the tender for the Work "Strengthening of Goner Road from Goner Tiraha to Aasha ram ji Babu Ashram Zone -10, JDA, Jaipur."	विचार-विमर्श पश्चात "Strengthening of Goner Road from Goner Tiraha to Aasha ram ji Babu Ashram Zone -10, JDA, Jaipur." की निविदा को निरस्त करने तथा अल्पकालीन निविदाएं आमंत्रित करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
16.	190:16	प्राधिकरण के अधिकारियों एवं प्राधिकरण सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में जारी आदेश दिनांक 17.09.2014 की कार्योत्तर पुष्टि बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात प्राधिकरण के अधिकारियों एवं प्राधिकरण सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में जारी आदेश प-4(9) जविप्रा/संस्था/83पार्ट दिनांक 17.09.2014 की कार्योत्तर प्रदान की गई।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)				
17.	190:17	Ex-post facto approval for rejecting the tender for the Work "Strengthening & Renewal of Delhi Bypass road from Sadwa mod (Ramgarh Tiraha) to JDA NH-11 boundary, Zone-10 area, JDA, Jaipur."	विचार-विमर्श पश्चात "Strengthening & Renewal of Delhi Bypass road from Sadwa mod (Ramgarh Tiraha) to JDA NH-11 boundary, Zone-10 area, JDA, Jaipur." की निविदा के निरस्तीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
18.	190.18	Ex-post facto approval of the Tender for the work Construction of Major Roads in Scheme Rohini Enclave in Zone-14, JDA, Jaipur.	विचार-विमर्श पश्चात निविदाकर्ता मैसर्स पारुल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में 7.95 प्रतिशत Above on G-Schedule based on PWD BSR 2012 की दर पर राशि रूपये 5,74,46,536.00/- की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही समिति द्वारा संवेदक से अनुबन्ध किए जाने से पूर्व कीमत विभिन्नता के घटकों की मंजूरी के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
19.	190.19	जविप्रा की आवासीय योजना हरित विहार के भूखण्ड संख्या जी-26 का नियमितीकरण करने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात जविप्रा की आवासीय योजना हरित विहार के भूखण्ड संख्या जी-26 के आवंटी द्वारा नजराना राशि दो वर्ष से	उपायुक्त (जोन-14)


सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			अधिक विलम्ब से जमा करवाए जाने के कारण डिस्पोजल ऑफ अरबन लैंड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	
20.	190.20	Agenda to review the decision of action taken under clause 2&3 of contract agreement for the work "Construction of WBM road in PAP area of Ring Road Part-II, zone-14, JDA", Jaipur.	<p>प्रस्तुत एजेण्डा पर गहन विचार-विमर्श पश्चात निम्नानुसार निर्णय लिए गए :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. संवेदक मैसर्स हरदयाल कन्सट्रक्शन कम्पनी प्रा. लि. पर अनुबन्ध की धारा 2 के अन्तर्गत कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि तक जितनी राशि का कार्य उपलब्ध भूमि पर बिना किसी अवरोध के सहजता से कर सकता था, उस पर 10 प्रतिशत शास्ति (यथा राशि रूपए 6,67,000.00) आरोपित किया जावे।</li> <li>2. संवेदक मैसर्स हरदयाल कन्सट्रक्शन कम्पनी प्रा. लि. पर अनुबन्ध की धारा 3 (A) के अन्तर्गत धारा 32 में विद्वा की गई राशि रूपए 1,00,92,607.00 को छोड़ते हुए शेष राशि रूपए 70,67,122.74 पर कटने वाली सिक्थोरिटी राशि के बराबर राशि जब्त किए जाने का निर्णय लिया गया।</li> </ol>	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
21.	190.21	Agenda Note regarding expost facto approval of tender for the work of rate contract for	विचार-विमर्श पश्चात निविदाकर्ता मैसर्स नन्दा सेल्स के पक्ष में Rate contract for construction of tube well, P/L/J of pipe line and construction of HP	निदेशक अभियांत्रिकी

  
सचिव,

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		construction of tube well, P/L/J of pipe line and construction of HP under JDA jurisdiction, Jaipur amounting to Rs.1,30,17,533.31 in favour of M/s Nanda Sales.	under JDA jurisdiction, Jaipur के लिए राशि रुपये 1,30,17,533.31/- की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	(द्वितीय)
22.	190.22	Relaxation in criteria for post qualification of contractor for "Rehabilitation & Maintenance of ROBs at Jaipur."	<p>विचार-विमर्श पश्चात निविदाएं हेतु शर्तों में निम्न संशोधन स्वीकृत किए गए :-</p> <p>(A) निविदादाता/कम्पनी/ठेकेदार 'AA' श्रेणी में जविप्रा/केन्द्र सरकार के विभाग/राज्य सरकार के विभाग/स्थानीय निकाय/रेल्वे विभाग में पंजीकृत</p> <p>अथवा</p> <p>मोर्थ (MoRTH) एम्पेनल्ड निर्माता</p> <p>अथवा</p> <p>समान प्रकृति के कार्य अनुभव रखने वाली विशेष एजेन्सी होनी चाहिए।</p> <p>(B) निविदादाता द्वारा कम से कम एक कार्य समान प्रकृति का पूर्ण किया हुआ होना चाहिए यथा वायाडेक्ट/बड़ा पुल/आर.ओ.बी./फ्लाई ओवर का निर्माण, जिसमें स्ट्रिपसील/मोडुलर/कम्प्रेसिव एक्सपेन्सन ज्वॉइन्ट तथा किसी भी प्रकार की बीयरिंग का कार्य किया हुआ हो</p> <p>अथवा</p> <p>सुपर स्ट्रक्चर को उठाकर किसी भी प्रकार की बीयरिंग को बदलना/रिपेयर किया हो तथा स्ट्रिपसील/मोडुलर/कम्प्रेसिव एक्सपेन्सन ज्वॉइन्ट को बदलने का कार्य किया हो</p> <p>(C) निविदादाता का वार्षिक वित्तीय टर्न</p>	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)



सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			ओवर पिछले तीन वित्तीय वर्षों में (यदि निविदादाता चाहे तो चालू वित्तीय वर्ष को भी सम्मिलित कर सकता है) किसी भी एक वित्तीय वर्ष के अन्दर कम से कम राशि 371.00 लाख रुपये का होना चाहिए।	
23.	190.23	जविप्रा की आवासीय योजना हरित विहार के भूखण्ड सं. डी-82 का नियमितीकरण करने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि क्योंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फॉर्म-16 एवं संलग्नक से यह विदित होता है कि वह निर्धारित आय-वर्ग में आता है, अतः श्री अभिषेक खण्डेलवाल पुत्र श्री के. सी. कट्टा को जविप्रा की आवासीय योजना हरित विहार के भूखण्ड सं. डी-82 को बहाल करते हुए नियमितीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त (जोन-14)
24.	190.24	आवास संख्या ए-283, योजना नारदपुरा के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात आवास संख्या ए-283, योजना नारदपुरा के आवंटी द्वारा नजराना राशि दो वर्ष से अधिक विलम्ब से जमा करवाए जाने के कारण डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त (जोन-10)
25.	190.25	जयपुर शहर में कराए गए सौन्दर्यकरण कार्य के अन्तर्गत सरदार पटेल मार्ग पर राजस्थानी ड्रैसेज आधारित लगाए गए स्कल्पचर्स में अतिरिक्त किए गए कार्य के क्लेम के सम्बन्ध में।	कार्यकारी समिति की 187वीं बैठक के एजेण्डा संख्या 187.9 में लिए गए निर्णय के अनुसार सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी के द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार करते हुए पूर्व में किए गए भुगतान को नियमित करने का निर्णय लिया गया, परन्तु मैसर्स शिल्पम द्वारा एक इंच की लम्बाई बढ़ने की स्थिति में मांगी गई राशि रूपए	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			99,034/- को अनुचित पाए जाने के कारण निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया।	
26.	190.26	Approval of tender for the work "construction of road (up to GSB level) in PAP area of Ring Road Zone - 14 JDA, jaipur (Package-8)	विचार-विमर्श पश्चात न्यूनतम निविदादाता मैसर्स बलवीर सिंह सिकरवार के पक्ष में पी. डब्ल्यू.डी. बीएसआर 2012 एवं एन. एच. बीएसआर 2012 पर आधारित जी-शिड्यूल में वर्णित राशि रुपये 6,47,09,235.05 पर दर 9.95 प्रतिशत ऊपर, कुल राशि रूपए 7,11,47,803.94 बिना किसी शर्त के स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया। चूंकि परियोजना प्रभावित क्षेत्र (पी.ए.पी. कॉरीडोर) में प्रभावित काश्तकारों को अविलम्ब राहत देने, आवंटित किये गये विकसित भूखण्डों का कब्जा तुरन्त देने एवं आगामी 4 दिवस के राजकीय अवकाश को दृष्टिगत रखते हुए सफल निविदादाता को आज दिनांक 22.10.2014 को ही Acceptance Letter जारी करने के निर्देश प्रदान किए गए।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
27.	190.27	Approval of tender for the work "Development of Kho- Nagariyan road in sector 34 &35. Widening & Strengthening of Kho- Nagariyan road (phase-III) in Zone -10 JDA, jaipur."	विचार-विमर्श पश्चात निविदाकर्ता खुदाबख्श पठान के पक्ष में "Development of Kho- Nagariyan road in sector 34 &35. Widening & Strengthening of Kho- Nagariyan road (phase-III) in Zone -10 JDA, jaipur." के कार्य के लिए 3.91 प्रतिशत Above on G-Schedule की दर पर राशि रुपये 9,40,96,582.00/-का कार्यदेश जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
28.	190.28	आवास संख्या ए-27 योजना नारदपुरा के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात आवास संख्या ए-27 योजना नारदपुरा के आवंटी द्वारा नजराना राशि दो वर्ष से अधिक विलम्ब से जमा करवाए जाने के कारण डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों	उपायुक्त जोन-10



सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			के अन्तर्गत प्रकरण को स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	
29.	190.29	Ex-Post Facto approval of bid for the Work providing and Fixing Traffic signalization Work at 19 tri-Junction /junction at jaipur City.	विचार-विमर्श पश्चात निविदाकर्ता 18% below on G-Schedule की दर पर "Work providing and Fixing Traffic signalization Work at 19 tri-Junction /junction at jaipur City." के लिए मैसर्स शक्ति एन्टरप्राइजेज के पक्ष में राशि रुपये 2,48,54,216.00/- की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
30.	190.30	Agenda regarding approval of bid for the work providing and fixing ACT system at Tonk road and Ashok Marg, Jaipur.	विचार-विमर्श पश्चात निविदाकर्ता मैसर्स शक्ति एन्टरप्राइजेज के पक्ष में 15% below on G-Schedule की दर पर work providing and fixing ACT system at Tonk road and Ashok Marg, Jaipur. के कार्य के लिए राशि रुपये 3,18,25,666.00/-का कायदेशि जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
31.	190.31	Regarding Post-Facto approval for hiring Consultancy service for landscape development of Butterfly valley in smriti van on JLN Marg, Jaipur.	एजेण्डानुसार "hiring Consultancy service for landscape development of Butterfly valley in Smriti Van on JLN Marg, Jaipur." की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	वन संरक्षक
32.	190.32	Regarding Post-Facto approval for hiring Consultancy service for landscape development of Silvan park at Agra Road (Theme park Bouganviliya Park), Jaipur.	एजेण्डानुसार "hiring Consultancy service for landscape development of Silvan park at Agra Road (Theme park Bouganviliya Park), Jaipur." की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	वन संरक्षक
33.	190.33	Regarding Post-Facto approval for hiring Consultancy service for landscape Consultancy of Ramniwas Bagh, Jaipur.	एजेण्डानुसार "hiring Consultancy service for landscape Consultancy of Ramniwas Bagh, Jaipur." की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	वन संरक्षक
34.	190.34	Approval of tender for the work "Strengthening of Goner Road from Goner Tiraha to Aasha Ram ji Bapu Aasharm Zone-	विचार-विमर्श पश्चात न्यूनतम निविदाकर्ता मैसर्स लटाला कन्सट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में 10.55% above on G-Schedule की	निदेशक अभियांत्रिकी

सचिव,  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		10 JDA, Jaipur.”	दर पर “Strengthening of Goner Road from Goner Tiraha to Aasha Ram ji Bapu Aasharm Zone-10 JDA, Jaipur.” के कार्य के लिए राशि रुपये 11,54,31,501.00/-का कायदेश जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	(प्रथम)
35.	190.35	Regarding Post-facto approval for hiring consultancy service for landscape development of Statue Circle.	एजेण्डानुसार “hiring consultancy service for landscape development of Statue Circle.” की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	वन संरक्षक
36.	190.36	Approval of tender for the work “Construction of Cement concrete Road in various reaches of Water logging area of Agra road (Purani Chungi) to Nai ki thadi road vai Sumel and Delhi Road, Zone-10 area JDA, Jaipur.”	विचार-विमर्श पश्चात “Construction of Cement concrete Road in various reaches of Water logging area of Agra road (Purani Chungi) to Nai ki thadi road vai Sumel and Delhi Road, Zone-10 area JDA, Jaipur निम्नलिखित निर्णय लिए गये:- 1.फाइनेंशियल बिड खोलने के कार्योत्तर स्वीकृति का निर्णय लिया गया। 2.उक्त कार्य में न्यूनतम दर दाता (एल-1) मैसर्स लटाला कन्सट्रक्शन कम्पनी द्वारा “जी-सूची” राशि 3,66,47,512.72 पर 29.00 प्रतिशत कम दी गई दर को अनुमोदित करते हुए राशि रूपए 2,60,19,734.00 का कायदेश बिना किसी शर्त के जारी करने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
37.	190.37	Ex-post facto approval of the Tender for the work Construction of Approach road and various development works in Uday Vihar Scheme in Zone-14, JDA, Jaipur.	विचार-विमर्श पश्चात मैसर्स ओम प्रकाश अग्रवाल को जी-शिड्यूल पर 9.09 प्रतिशत अधिक (above) पर “Construction of Approach road and various development works in Uday Vihar Scheme in Zone-14, JDA, Jaipur.” के लिए जारी किए गए कायदेश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। समिति द्वारा संवेदक से अनुबन्ध किए जाने से पूर्व दर विभिन्नता के घटकों की मंजूरी के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)

सचिव,  
बयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
38.	190.38	For postfacto approval to call negotiation and approval of Tender for the work "Renewal & Improvement of road from Ninder Village to Jairampura Zone-12B, JDA Jaipur."	विचार-विमर्श पश्चात निविदाकर्ता मैसर्स पारुल कन्सट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में 18.51% above on G-Schedule based on PWD BSR 2012 की दर पर work "Renewal & Improvement of road from Ninder Village to Jairampura Zone-12B, JDA Jaipur." के लिए राशि रुपये 5,39,36,399.00/- की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)

  
(पवन अरोड़ा)

सचिव  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 190वीं बैठक दिनांक 22.10.2014 को प्रातः 10:00 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में श्री शिखर अग्रवाल, जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही:-

क्र. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1.	श्री शिखर अग्रवाल	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री एन.सी. माथुर	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
3.	श्री देवराज सिंह	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4.	श्री मनोज बंसल	सचिव	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
5.	श्री एम.वी. जांगिड़	आयुक्त (मुख्यालय), राजस्व	जयपुर नगर निगम	सदस्य के प्रतिनिधि
6.	श्री महावीर प्रसाद बडगुर्जर	अतिरिक्त आयुक्त पुलिस (प्रशासन)	पुलिस मुख्यालय, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
7.	श्री अनिल कुमार गर्ग	अतिरिक्त मुख्य अभियंता (जोन-प्रथम)	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
8.	श्री डी.के. गुप्ता	अधिशाषी अभियन्ता-द्वितीय	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
1.	श्री अक्षय सिंह	वन संरक्षक	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
2.	श्री ललित शर्मा	निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
3.	श्री राजेन्द्र विजय	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
4.	श्री एस. मित्रा	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम्स मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
5.	श्री वी.एस. सुण्डा	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता- प्रथम	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
6.	श्री जे.पी. सिंघल	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-V	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
7.	श्री राजकुमार शर्मा	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता- तृतीय	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
8.	श्री मदन लाल चौधरी	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (विधुत)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
9.	श्री एन. के. सिंघल	अधीक्षण अभियंता- V	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
10.	श्री देवेन्द्र गुप्ता	अधीक्षण अभियंता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
11.	श्री जे.के. शर्मा	अधीक्षण अभियंता- IV	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
12.	श्री संजीव कुमार जैन	अधीक्षण अभियंता (रिंग रोड)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13.	श्री मनोज कुमार सोनी	अधीक्षण अभियंता- द्वितीय	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14.	श्री आर.पी. रैगर	अधीक्षण अभियंता (आर.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15.	श्री भोजराज सिंह	वरिष्ठ उद्यानविद्	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16.	श्री महेश गोयल	अधिशाषी अभियन्ता (दक्षिण)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	



सचिव,  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
17.	श्री राजसिंह चौधरी	अधिकाधी अभियन्ता (पी.एच.ई.-प्रथम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18.	श्री सलीम अहमद	अधिकाधी अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19.	श्री अजय राठौड	अधिकाधी अभियन्ता (आर.आर.पी.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20.	श्री आर. के. माथुर	अधिकाधी अभियन्ता-14	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21.	श्री राजेन्द्र आहुजा	अधिकाधी अभियन्ता-जोन-10	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
22.	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	अधिकाधी अभियन्ता-जोन-10ए	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
23.	श्री दीपक बालचंदानी	अधिकाधी अभियन्ता (गार्डन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
24.	श्री जी.एल. अग्रवाल	अधिकाधी अभियन्ता-जोन-12बी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
25.	श्री लोकेश सहल	उपायुक्त जोन-10	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
26.	श्री मुकेश चन्द्र	तहसीलदार जोन-8	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

  
(पवन अरोड़ा)

सचिव  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.190)/जविप्रा/जे.सी. (एस.एम.)/2014/डी- 1220  
प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है:-

दिनांक: 27/10/14

क.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
3	अतिरिक्त मुख्य सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4	महापौर	जयपुर नगर निगम।
5	जिला प्रमुख	जिला परिषद, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	जिला कलक्टर	जिला कलक्ट्रेट, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम/द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/पुनर्वास/एल.पी.सी/भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	सहायक निदेशक (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

(पवन अरोड़ा)

सुविद्ध,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर